



क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/ निविदा/2020-21/1219 रायपुर दिनांक 21.05.2020

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर/सीमेत भवन कुल क्षेत्रफल 17,775 वर्गफीट (तीन मंजिल) तथा अतिथिगृह भवन का कुल क्षेत्रफल 29,939 वर्गफीट पर (पाँच मंजिल) निर्मित भवनों में साफ-सफाई एवं लॉन एरिया 30,000 वर्गफीट का रख-रखाव हेतु एक कैलेंडर वर्ष के लिए वर्ष 2020 हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जमा करने/खोले जाने की तिथि एवं समय तथा स्थान की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 26.06.2020 दोपहर 02.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 26.06.2020 सायं 04.00 बजे से

स्थान- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. रायपुर

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी परिषद् की वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) है, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर के नाम से) परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

निविदा हेतु पात्रता की शर्तें :-

- 1) निविदा दो सीलबंद लिफाफा "ए" एवं "बी" में जमा करना होगा  
(अ) लिफाफा "ए" में निर्धारित आवेदन पत्र "फार्म-ए" के साथ रु. 50,000/- (अक्षरी रु. पच्चास हजार) मात्र का अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के नाम देय होगा, रखा जावे। इस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में "आवेदन-पत्र व सुरक्षा राशि का लिफाफा- "ए" लिखा जावे।  
(ब) लिफाफा "बी" में वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में फार्म-बी रखा जावे। इस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में "वित्तीय लिफाफा-बी" लिखा जावे।  
सबसे पहले लिफाफा "ए" खोला जावेगा उसके बाद लिफाफा "बी" ।
- 2) निविदा आवेदन-पत्र के साथ "फार्म-ए" निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।



- 3) निविदा आवेदन पत्र के साथ फार्म-बी में कंडिका 31 के अनुसार आठ घण्टे के दैनिक मजदूरों एवं सुपरवाइजर की कुल दर एवं संलग्नक-(1) में क्रमांक 1 से 16 तक सामग्रियों की प्रतिमाह की राशि अलग-अलग प्रस्तुत करते हुए कुल योग लिखना होगा।
- 4) निविदा आवेदन पत्र के साथ फार्म-बी में एक मुश्त दर में EPF, ESIC सर्विस चार्ज, लाभ को शामिल करते हुए एक मुश्त दर देनी होगी, जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय होगा।
- 5) निविदा कर्ता को जी.एस.टी. पंजीयन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 6) निविदा कर्ता को EPF, ESIC का पंजीयन प्रमाण पत्र कार्य आबंटन के 15 दिवस के अन्दर देना होगा।
- 7) फर्म/संस्था का MSME/NSIC पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 8) फर्म/संस्था का ISO 9001:2015 पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 9) फर्म/संस्था का पेन नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 10) निविदा कर्ता को साफ-सफाई एवं गार्डन कार्य का तीन वर्षों का 2016-17, 2017-18, 2018-19 का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्तमान में भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था का कार्यादेश देना अनिवार्य है।
- 11) निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में कर्मचारियों के EPF, ESIC जमा करने के प्रमाण में ECR चालान की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- 12) निविदाकार संस्था/फर्म का विगत तीन वर्षों का (2016-17, 2017-18, 2018-19) लगातार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 25 लाख (पच्चीस लाख रु.) साफ सफाई एवं गार्डन कार्य का टर्नओवर (जिसका चार्टडेट एकाउन्टेड का सत्यापन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 13) निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन का श्रम आयुक्त द्वारा वर्तमान में निर्धारित वेतन मान से कम वेतन मान की निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 14) निविदाकर्ता फर्म को साफ सफाई एवं गार्डन कर्मचारियों की व्यवस्था करने वाले फर्म/संस्थान को EPF & ESIC तथा अन्य श्रम विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके द्वारा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- 15) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को इस निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं।
- 16) निविदा समिति को न्यूनतम निविदा दर स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 17) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दर निविदा शर्तों में उल्लेखित सभी कार्यों एवं व्यय को सम्मिलित करते हुए भरी गई मानी जावेगी। तदनुसार ही दर भरी जावे।

RS

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



- 18) निविदा स्वीकृत होने पर इसकी सूचना लिखित में निविदाकार को दी जावेगी जिसे वैधानिक रीति से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के साथ अनुबंध निष्पादित करने हेतु अधिकतम तीन दिवस का समय दिया जावेगा। निविदा निरस्त होने पर सुरक्षा राशि वापस हो जायेगी।
- 19) निविदाकर्ता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 200/- रुपये का नॉन ज्युडिशियल स्टांप पेपर में कार्य की शर्तों का पालन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 20) अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक तथा उत्तम पाये जाने पर अनुबंध की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये अधिकतम दो बार दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- 21) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा राशि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पास बंधक रहेगी किन्तु न्यूनतम दर पर सहमति देने के बाद निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करने की स्थिति में सुरक्षा राशि स्वयंमेव जब्त हो जायेगी।
- 22) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के परिषद् भवन/अतिथिगृह भवन के टायलेट, पेशाब घर, नाली, जाले, अंदर-बाहर की नाली, परिसर की लॉन एरिया सड़कें, खुले स्थान का कचरा, भवन स्थित कक्ष/हॉल, फर्श की सफाई, दीवार एवं दीवार पर लगे जालों की सफाई, अतिथिगृह में लगे कॉच की सफाई, फिनाइल से फर्श की सफाई, सोफे, टेबल, कुर्सी उपकरणों पर लगे धूल साफ करना, रोशनदान, खिड़की व थूकदान, परिसर में रखे डस्टबिन की नियमित सफाई कराना होगा। फिनाइल, लिक्विड, छिड़काव, डामर गोलियां, थूकदान में आवश्यकतानुसार रेत, प्रतिदिन रखना होगा। ठेकेदार को सामग्री सूची संलग्नक (1) अनुसार उपलब्ध करानी होगी।
- 23) परिषद् भवन के सामने के गार्डन एवं बाउण्ड्रीवॉल के सामने के लॉन की साफ-सफाई, रख-रखाव, खाद डालने का एवं जल व्यवस्था का कार्य निविदाकार का होगा।
- 24) परिषद् भवन के पीछे, स्टेज के सामने तथा अतिथि गृह के आस-पास संपूर्ण साफ-सफाई एवं गार्डन को साफ-सुथरा रखना होगा। साथ ही परिषद परिसर के सभी पेड़-पौधों एवं फूलों की कटिंग एवं आवश्यकतानुसार खाद एवं जल प्रदाय की व्यवस्था करनी होगी।
- 25) माह में एक बार किसी अवकाश के दिनों में पूरे तलों/पलोर रैम्प की धुलाई करनी होगी व पान, तम्बाखू, गुड़ाखू के धब्बों पर चुने की पुताई कराना होगा। उपरोक्त नियमित सफाई से निकला कचरा भवन प्रभारी द्वारा बताए गए स्थल में डालना होगा।
- 26) सोफा, कारपेट, उपकरणों की साफ-सफाई के लिए एक वैक्यूम क्लीनर (उच्च क्षमतायुक्त) की व्यवस्था करनी होगी व यह उपकरण एस.सी.ई.आर.टी. में ही रखे जावेंगे।





- 27) परिसर में सभी सफाई कर्मचारी एवं सुपरवाइजर मास्क और हैंड ग्लव्स एवं पी.पी.ई. किट अनिवार्य रूप से पहनकर ड्यूटी करें।
- 28) सभी कर्मचारियों को कोविड-19 और कोरोना वाइरस से संबंधित जैसे सोशल डिस्टेंसिंग व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी हों।
- 29) परिषद् भवन व अतिथि भवन के सभी बाथरूम में सेनिटाइजर, लिक्विड सोप, हाथ धोने के लिए साबुन व स्वच्छ टॉवेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा।
- 30) सप्ताह में दो बार परिषद् एवं अतिथि भवन का सम्पूर्ण सेनिटाइजेसन कार्य करना होगा।
- 31) कोरोना वाइरस से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइड लाइन का अनिवार्यतः पालन करना होगा।
- 32) कंडिका 22 से 31 तक बताए गए कार्यों के उपयोग हेतु सभी सामग्रियों एवं सफाई उपकरणों की व्यवस्था निविदाकार को करना होगा।
- 33) साफ-सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार ठेकेदार को करनी होगी तथा सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा की जांच भवन प्रभारी से कराना होगा।
- 34) सफाई कार्य प्रतिदिन (अवकाश दिनों सहित) प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे के अंदर करना होगा। इसके अलावा आवश्यकतानुसार समय-समय पर (प्रातः सफाई के अतिरिक्त) टॉयलेट व परिसर की साफ-सफाई करना होगा।
- 35) ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूर प्रतिदिन वर्दी पहनकर आयेंगे। वर्दी का प्रदाय ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
- 36) अतिथिगृह की सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से 03.00 बजे तक 10 मजदूर एवं परिषद् भवन की साफ सफाई तथा लॉन एरिया रखरखाव प्रातः 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 10 मजदूर (जिसमें दो माली शामिल हैं) एवं 1 सुपरवाइजर उपलब्ध करना होगा।
- 37) मजदूर निर्धारित संख्या से कम उपस्थित होने पर उपस्थित मजदूर का ही भुगतान दिया जावेगा तथा अनुपस्थित मजदूरों का भुगतान नहीं किया जायेगा, साथ ही अनुपस्थित मजदूरों के वेतन के बराबर का अर्थदण्ड भी किया जावेगा।
- 38) परिषद् भवन, अतिथि भवन, मेस हॉल, परिषद् के बाहर एवं अंदर के गॉडन में प्रतिदिन निकलने वाले कचरे का निपटान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शासन के नियमानुसार किया जाना होगा।
- 39) परिषद् भवन, अतिथि भवन की छतों की नियमित सफाई एवं पानी की टंकीयों की सफाई करना होगा तथा प्रतिमाह एक बार प्रभारियों को निरीक्षण कराना होगा।
- 40) सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए त्वरित निराकरण हेतु मजदूर उपलब्ध करना होगा।
- 41) कार्य व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन का पूर्ण अधिकार पक्षकार क्रमांक 1 द्वारा अधिकृत परिषद् भवन/अतिथि भवन प्रभारी का होगा, जो निविदाकार एवं पक्षकार क्रमांक 1 के संयुक्त विचार विमर्श से किया जाएगा।




RS/

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



- 42) ठेकेदार द्वारा नियोजित ऐसे कर्मचारी जो अयोग्य अथवा जिनका आचरण कार्य में नियोजित रखने योग्य न रहा हो को अलग करने का अधिकार संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर अथवा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को होगा एवं ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से पालन हेतु बंधनकारी होगा।
- 43) किसी कार्य को संपादित न करने के कारण की जाने वाली कटौती पर अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त भुगतान की राशि का निर्धारण का अधिकार **पक्षकार क्रमांक - 01** संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर को होगा।
- 44) ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य में दर्शाया गया कचरा आदि समस्त उत्पाद एस.सी.ई. आर.टी. की संपत्ति होगी एवं इनका विक्रय/व्यावसायिक उपयोग ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
- 45) प्रत्येक माह की समाप्ति पर ठेकेदार से देयक मासिक भुगतान की 100 प्रतिशत की राशि विमुक्त की जावेगी, परंतु शर्तों में वर्णित वसूली यदि कोई हो तो, मासिक भुगतान से कटौती योग्य होगी।
- 46) ठेकेदार को प्रत्येक माह कार्य में लगाये गये श्रमिकों के शैक्षणिक योग्यता (डिप्लोमा) नाम पते व चरित्र प्रमाण उनके कार्य करने की तिथियों की जानकारी रखना होगा एवं मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 47) ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूरों के नाम एवं पूर्ण पता सहित एक सूची संचालक, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर को देना होगा तथा सूची के अनुसार ही मजदूर कार्य पर उपस्थित होंगे। सूची से भिन्न मजदूर रखने हेतु पूर्व स्वीकृति संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर से प्राप्त करना होगा।
- 48) शर्तों का पालन न करने एवं विवाद की स्थिति में ठेका किसी भी समय निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर को होगा, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जावेगी।

हस्ताक्षर .....

वेंडर का नाम .....

पता .....

.....

.....

मोबाइल नम्बर .....

फर्म की सील .....

.....



अतिथिगृह एव परिषद् भवन/लॉन एरिया  
सफाई सामग्री की सूची - संलग्नक-(1)

एक माह में आवश्यक सफाई सामग्री की निर्धारित मात्रा



क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/ निविदा/2020-21/1219 रायपुर दिनांक 21.05.2020

1. फूल झाडू	60 नग
2. वाइपर	16 नग
3. हारपिक (बड़ा)	40 नग
4. साबुन(180 ग्राम)	75 नग
5. सीक झाडू	50 नग
6. ब्रश (गोल)	16 नग
7. पोछा	40 नग
8. कचरा दान (बड़ा)	32 नग (साल में एक बार)
9. निरमा पाउडर	32 किलो
10.नेपथेलीन गोली	18 किलो
11.एसिड	32 किलो
12.लिक्विड सोप	30 किलो
13.सेनिटाइजर(75% एल्कोहल)	20 लीटर
14.फिनाइल लिक्विड	60 लीटर
15.ब्लीचिंग पाउडर	23 किलो
16. गोबर खाद	50 किलो

उक्त उल्लेखित सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता का निरीक्षण भवन प्रभारी या भंडार शाखा के किसी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

निर्धारित कालावधि में उपयोग न होने पर बची सामग्री जप्त कर ली जायेगी।

RS



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,  
शंकर नगर, रायपुर

फार्म - 'ए'

क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/ निविदा/2020-21/1219 रायपुर दिनांक 21.05.2020

1. निविदाकार का नाम एवं फर्म की रबर सील.....
2. पूर्ण पता.....
3. दूरभाष क्रमांक..... मो.नम्बर ..... ई. मेल.....
4. स्थाई लेखा संख्या (PAN).....
5. जी.एस.टी. पंजीयन नं. ....
6. राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र.दि./राशि.....
7. फर्म/संस्था का EPF पंजीयन नम्बर .....
8. फर्म/संस्था ESIC पंजीयन नम्बर .....
9. फर्म/संस्था का MSME/NSIC पंजीयन नम्बर .....
10. फर्म/संस्था का ISO 9001:2015 पंजीयन नम्बर .....
11. फर्म/संस्था के साफ-सफाई के कार्य का जीवित पंजीयन नम्बर .....
12. तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र - 2018-19 .....
- 2017-18 .....
- 2016-17 .....
13. तीन वर्षों के EPF, ESIC जमा करने के प्रमाण में ECR चालान का प्रमाण - 2018-19 .....
- 2017-18 .....
- 2016-17 .....
14. विगत तीन वर्षों के साफ-सफाई एवं गार्डन 2018-19 .....
- के कार्य का प्रत्येक वर्ष के टर्न ओव्हर 2017-18 .....
- (रु. 25 लाख) की सी.ए. द्वारा 2016-17 .....
- सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति



15. विगत तीन वर्षों के साफ-सफाई 2018-19 .....
- एवं गार्डन के कार्य का प्रत्येक वर्ष 2017-18 .....
- के आयकर विवरण की सी.ए. द्वारा 2016-17 .....
- सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति

16. निविदाकार के फर्म के स्वामी/साझेदार/संचालक का विवरण :-

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	विवरण (स्वामी/साझेदार/संचालक)

हस्ताक्षर .....

मेसर्स .....

पूरा नाम .....

फर्म/संस्था के सुरक्षा गार्ड के कार्य का  
जीवित पंजीयन नम्बर .....

GST नम्बर.....

फर्म की सील .....

RS



शपथ-पत्र

प्रति,

संचालक,  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
शंकरनगर, रायपुर, छ.ग.

विषय: निविदा क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/निविदा/2020-21/1219  
रायपुर दिनांक 21.05.2020

महोदय,

हम/मैं अपनी दरें संलग्न निविदा फार्म क्रमांक ..... में भर रहे हैं/रहा हूँ। मैं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के आगामी एक वर्ष तक के लिए एस.सी.ई.आर.टी. परिषद् भवन एवं अतिथिगृह/लॉन एरिया की सम्पूर्ण साफ-सफाई व्यवस्था करने विषयक सूचना क्रमांक ..... के अनुक्रम में प्राप्त विवरण, उल्लेखित शर्तों एवं नियमों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है।

1. हम/मैं इन शर्तों एवं नियमों को पूर्ण रूप से मानने के लिए सहमत हूँ/हैं।
2. हम/मैं अमानत की राशि रु. 50,000.00 (रु. पच्चास हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक ..... दिनांक ..... बैंक का नाम व पता ..... जमा कर रहे हैं/रहा हूँ।
3. हमने/मैंने निविदा के साथ निम्न प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
4. अनुभव (पूर्व विवरण अलग से प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

संलग्न दस्तावेज :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....  
फर्म .....  
दिनांक .....  
टेलीफोन नं. ....  
मो. नम्बर .....




“फार्म – बी”  
एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़, रायपुर  
अतिथिगृह एव परिषद् भवन/लॉन एरिया की साफ-सफाई

क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/ निविदा/2020-21/1219 रायपुर दिनांक 21.05.2020

क्र.	कार्य का नाम	साफ-सफाई का व्यवस्था का विस्तृत विवरण	प्रस्तावित दर प्रतिमाह निविदाकार द्वारा भरा जावे। (कुल राशि रु. में)
1	2	3	4
01.	एस.सी.ई.आर.टी. में साफ सफाई व गार्डन कार्य (A) परिषद् भवन, अतिथि गृह एवं लॉन एरिया (B) 1 माह में सफाई सामग्री एवं लॉन का रखरखाव	निविदा की शर्तों के अनुसार	अंको में ..... ..... शब्दों में ..... ..... .....

नोट –

- जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
- A+B का जी.एस.टी. शासकीय नियमानुसार अलग-अलग देय होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

फर्म .....

दिनांक .....

टेलीफोन नं. ....

मो.नम्बर .....

फर्म का सील (मुद्रा)

RS  
Pharm






एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़, रायपुर  
अतिथिगृह एव परिषद् भवन/लॉन एरिया की साफ-सफाई  
क्र./स्टोर/साफ सफाई व्यवस्था/ निविदा/2020-21/1219 रायपुर दिनांक 21.05.2020

// फार्म - बी की दर का सम्पूर्ण विवरण पत्रक //

क्र.	कार्य का नाम	प्रतिदिवस श्रमिक की दर	20 श्रमिकों की कुल राशि 30 दिनों के अनुसार
1	2	3	4
<b>(A) परिषद् व अतिथि भवन में</b>			
(i)	<ul style="list-style-type: none"><li>अकुशल श्रमिक का भुगतान</li><li>नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला EPF अंशदान</li><li>ESIC</li><li>सर्विस चार्ज</li></ul>		
	योग		
(ii)	<ul style="list-style-type: none"><li>सुपरवाइजर 01 (कुशल श्रमिक) का भुगतान</li><li>नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला EPF अंशदान</li><li>ESIC</li><li>सर्विस चार्ज</li></ul>		
	योग		

नोट - जी.एस.टी. अलग से देय होगा।



एक माह में आवश्यक सफाई सामग्री की राशि

(B) संलग्नक 1 से 16 तक				
क्र.	सामग्री का नाम	प्रतिनग दर	संख्या/मात्रा	कुल राशि (30 दिनों के लिए)
1	फूल झाड़ू		60 नग	
2	वाइपर		16 नग	
3	हारपिक (बड़ा)		40 नग	
4	साबुन (180 ग्राम)		75 नग	
5	सीक झाड़ू		50 नग	
6	ब्रश (गोल)		16 नग	
7	पोछा		40 नग	
8	निरमा पाउडर		32 किलो	
9	नेफ्थेलीन गोली		18 किलो	
10	एसिड		32 किलो	
11	जूट बोरा		25 नग	
12	लिक्विड सोप		30 किलो	
13	सेनिटाइजर 75% एल्कोहल		20 लीटर	
14	ब्लीचिंग पाउडर		23 किलो	
15	गोबर खाद		50 किलो	
16	कचरा दान (बड़ा)		32 नग (साल में एक बार)	
			योग	
			सर्विस चार्ज	
			योग	
A+B का योग (सर्विस चार्ज सहित)				

नोट -

- जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
- A+B+C का जी.एस.टी. शासकीय नियमानुसार अलग-अलग देय होगा।

*R/S*  
*Sham*

*W*

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

फर्म .....

दिनांक .....

टेलीफोन नं. ....

मो. नम्बर .....

फर्म का सील (मुद्रा)